क्रांक /29/23/नग्रानि/2014 तथा ग्राम निवश, देवास देवास देवास देवास, दिनांक अ/-8-14

श्री देवेन्द्र कर्मा पिता श्री हरीसिंह कर्मा पंचशील नगर देवास जिला देवास

विषय:

ग्राम बिलावली तहसील देवास स्थित सर्वे क्रमांक 106 कुल रकबा 0.380 हे. मे से 740.66 वर्ग मीटर पर घरेलु गैस सिलेन्डर गोदाम उपयोग हेतु स्थल अनुमोदन के सबंध में

संदर्भः

आवेदक का आवेदन (धारा-29) दिनांक 28.07.2014 ।

उपरोक्त विष्यान्तर्गत आपके संदर्भित आवेदन पत्र द्वारा श्री हरीश पिता श्री कृष्णजी महाजन नि. 78 कि के नगर देवास एवं रोहित पिता श्री मांगीलाल महाजन नि. 33 ताराणी कालोनी देवास के संयुक्त स्वामीन की भूमि ग्राम बिलावली तह. देवास सर्वे क्रं. 106 कुल रकवा 0.380 हे में से (आकार 30.38 मीठर क्रें) 24.38) रकवा 740.66 वर्ग मीटर पर घरेलू गेस गोदाम उपयोग हेतु भू—स्वामियों द्वारा आपके पक्ष में निष्पादित लीज डीड दिनांक 25/09/2013 एवं प्रस्तुत संयुक्त शपथ—पत्र दिनांक 26/07/2014 अनुसार गोदाम उपयोग हेतु स्थल अनुमोदिन के लिए म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 कि ध्रा—29 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

देवास विकास योजना— 2011 के प्रस्तावनुसार प्रश्नाधिन भूमि का भु—उपयोग कृषि निर्दिष्ट है, जिसे राजपुरा ग्राम मार्ग से पहुच उपलब्ध होती है । विकास योजना पुस्तिका के पृ.क.91—92 में सारणी—18 के स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग के अंतर्गत कृषि उपयोग में घरेलु गैस सिलेण्डर गोदाम एक स्वीकार्य गतिविधी है । विष्यांकित भूमि का स्थल निरिक्षण कार्यालय के श्री आर.एस.सैनी रिसर्च सहायक द्वारा आपकी उपस्थिती में किया गया । विषयांकित भूमि के सामने अर्थात पश्चिम दिशा में राजपुरा ग्राम मार्ग स्थित है, जिससे विषयांकित भूमि को पहुँच उपलब्ध होती है ।

अतः आपके संदर्भित आवेदन पत्र के साथ संलगन भू—स्वामियों द्वारा निष्पादित लीज डीड दिनांक 25/09/2013 एवं प्रस्तुत संयुक्त शपथ—पत्र दिनांक 26/07/2014 के आधार पर विषयांकित भूमि कुल रकवा 0.380 हेक्टर में से (आकार 30.38 मीटर x 24.38) रकवा 740.66 वर्ग मीटर,जिसको राजपुरा ग्राम मार्ग से पहुंच उपलब्धता के परिपेक्ष्य में घरेलु गैस सिलेण्डर गोदाम उपयोग हेतु संलग्न स्थल मानचित्र, म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम—1973 की धारा—30(1)—1(ख) तथा म.प्र.भूमि विकास नियम—2012 के नियम—2 (5) (क) एवं नियम—27 के अधिन अनुमोदित कर विकास कार्य क्रियान्वित किये जाने हेतु अनुज्ञा वर्णित शर्तो के साथ दी जाकर मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम—1956 (क्रमांक—23 सन्—1956) के तहत सक्षम प्राधिकरी द्वारा समस्त प्रावधानों एवं शर्तो का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- 1. निम्नलिखित अधिनियम नियम/सक्षम प्राधिकारी तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा।:—
 - अ. म०प्र0भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा-172
 - ब. नजूल विभाग, देवास ।
 - स. म०प्र0नगरपालिका अधिनियम-1961 (क्रमांक-37 सन् 1961)
 - द. म.प्र.प्रदुषण नियंत्रण मंण्डल ।

mo .

निरंतर.....2

ई. अन्य किसी अधिनियमों / नियमों के अंतर्गत कोई अनापित्त / अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो, तो उसे आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावेंगा। यदि किसी अधिनियम / नियमों के अंतर्गत कोई अन्य विभाग से अनुमित प्राप्त किया जाना आवश्यक हो,तो उसे प्राप्त करने का दायित्व आवेदक का होगा । संबंधित किसी

विभाग को आपित होने पर इस कार्यालय को वैधानिक साक्ष्यों सहित 15 दिवस में अवगत कराया जाना आवश्यक होगा । निर्धारित सम्यावधी पूर्ण होने पर यह माना जावेंगा कि किसी विभाग को उदत अभिमत से कोई आपित नहीं है ।

यह अनुज्ञा इसी आधार पर दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि भू—स्वामी की सब प्रकार से स्वामित्व में है। जिस पर घरेलु गैस सिलेन्डर गौदाम उपयोग हेतु आपके पक्ष में निष्पादित लीज डीड दिनांक 25/09/2013 एवं संयुक्त शपथ—पत्र दिनांक 26/07/2014 प्रस्तुत है। कंपनी/आवेदक को आयुध एवं विस्फोटक अधिनियम—1984 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जाना अनिवार्य होगा। अन्य किसी अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत यदि कोई अनुमित प्राप्त करना आवश्यक हो, तो उसे स्थल पर विकास कार्य प्रारंग करने के पूर्व अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जावें।

- 3. शासन/प्रशासन द्वारा भविष्य में प्रश्नाधिन ग्राम आदि में किसी प्रकार की कोई योजना प्रस्तावित की जाती है और उक्त योजना के परिपेक्ष्य में घरेलु गैस सिलेण्डर गोदाम स्थानांतरित की जाने की आवश्यकता होने पर आवेदन को बिना किसी शर्त के स्थानांतरित किया जाना होगा ।
- 4. विषयांकित भूमि के सामने अर्थात पश्चिम दिशा में राजपुरा मार्ग स्थित है । उक्त मार्ग की वर्तमान चौडाई 18.28 को यथावत रखते हुये संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार मार्ग मध्य से 9.14 मीटर चौडी भूमि मार्ग हेतु खुली रखना आवश्यक होगा । उक्त मार्ग से पहुच उपलब्धता के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त कर उसका विकास स्वयं के व्यय से करना होगा।
- 5. संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार भूमि के अंतर्गत चारों और सीमांत खुले क्षेत्र छोड़ना होगें । उक्त सीमांत खुले क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नहीं है । इसका पालन स्थानीय संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।
- 6. आच्छादित क्षेत्र संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार तथा भवन की उंचाई म.प्र.भूमि विकास नियम—2012 के अनुसार मान्य होगी ।
- 7. रवास्थ्य एवं पर्यावरण की दृष्टि से समस्त आधार-भूत सुविधाओं का विकास स्वयं आवेदक को करना होगा ।
- 8. आवेदक को म.प्र. भूमि विकास नियम-2012 के नियम-88 के अनुसार भुकम्परोधी तकनिकी से भवत का निर्माण करना होगा ।
- 9. आवेदक को म.प्र.भूमि विकास नियम-2012 के नियम-81 (4) के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग की प्रणाली स्थापित करना होगी । इसके पश्चात् ही संबंधित द्वारा जल एवं विधुत संयोजन किया जा सकेंगा ।

Du

Mps

के निस्म - 8-16 /3 / / 13. मध्ये भिन विकास नियम-2012-अग्नि तथा संरचनात्मक सुरक्षा एवं नियम-87 अग्नि सुरक्षा संबंधी आवश्येकताए प्रावधान अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जावेगी,जिसका पालन आवेदक को अद्वेश्यक रूप से करना होगा ।

यह अर्तुज्ञा घरेलु गैस सिलेण्डर गोदाम उपयोग हेतु दी गई है । अन्य उपयोग हेतु भूमि का उपविभाजन मान्य नहीं होगा । यदि उप–विभाजन किया जाकर विक्रय किया जाता है, तो अवैध उद्भिनीनी की श्रेणी में माना जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

- 13. उक्त अनुज्ञा की शर्तो के आधार पर संलग्न मानचित्र अनुसार निर्माण अनुज्ञा देवास विकास योजना—2011 एवं म.प्रभूमि विकास नियम—2012 के निर्दिष्ट प्रावधानों अनुसार आयुक्त नगर पालिक निगम देवास द्वारा प्रदत्त की जावेगी।
- 14. म.प्र.भूमि विकास नियम—2012 के नियम—23 (1) अनुसार उक्त अनुज्ञा 03 (तीन वर्ष) तक विधिमान्य बनी रहेगी ।
- 15. आपके द्वारा प्रस्तुत अक्ष/खसरा मानचित्र में किसी भी प्रकार की विसंगती होने पर उसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी ।
- 16. उक्त अनुज्ञा को भू-स्वामित्व का दस्तावेज नही माना जावें ओर न ही यह अहस्तांतरित होगा।
- 17. विषायांकित भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग से कराना होगा । सीमांकन उपरांत स्थल की सीमा अथवा स्थल मानचित्र अनुसार यदि कोई भिन्नता आती है,तो सीमांकित स्थल मानचित्र का अनुमोदन इस कार्यालय से कराना होगा ।
- 18. अनुमोदित स्थल मानचित्र के विपरित किये गये विकास कार्य, गलत जानकारी कोई भी कथन असत्य पाये जाने या भूमि सीमा विवाद उत्पन्न होने की दशा में तथा पत्र में उल्लेखित किसी भी शर्ते का उल्लंधन होना सिद्ध पाये जाने पर यह अनुज्ञा म.प्र.भूमि विकास नियम—2012 के नियम—25 के तहत प्रतिसंहत (रिव्होक) कर दी जावेगी।

संलग्नः एक मानचित्र।

2148 6 2149

पृ.क्रमांक /29/23/नग्रानि/2014

उपस्चालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, देवास देवास, दिनांक <u>श्री -8 -14</u>


प्रतिलिपि:

12.

1. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवास की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

2. आयुक्त नगर पालिक निगम देवास की और सूचनार्थ एवं वर्णित शर्तों का पालने सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

> उपस्रचालक नगर तथा ग्राम निवेश



कार्यालय उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, देवास

, क्रमांक (5⁵)/भू उप.-08/नग्रानि/2014

देवास,दिनांक 23/8/14

प्रति.

श्री कैलाशसिंह चौहान, राजोदा जिला व तहसील,देवास

विषय:

देवास विकास योजना-2011 में भूमि उपयोग की जानकारी बावत्.

संदर्भः

आपका आवेदन दिनांक 21.08.2014

देवास विकास योजना-2011 के अनुसार व्यापक तौर पर आवेदित क्षेत्र का प्रस्तावित भूमि उपयोग निम्न है:--

क्र	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि उपयोग व्यापक रूप से
1.	ग्राम जैतपुरा तहसील देवास	414/2,	आवास एवं मार्ग मार्ग उपयोग के अंतर्गत देवास-भोपाल मार्ग की प्रस्तावित 60.00 मीटर चौडाई के अंतर्गत आने वाली भूमि
		85/2	देवास वायपोस मार्ग सीमा के पश्चात् 45.00 मीटर चौडा नगरवन एवं पर्यावरण वानिकी उपयोग के पश्चात् वाणिज्यिक.

नोट:--

- 1 विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के है । अतः प्रस्तावित भूमि उपयोग विकास योजना प्रस्ताव का समग्र रूप से खसरा मानचित्र पर अंकन होने के अथवा पुनरीक्षण विकास योजना प्रभावशील होने के पश्चात् उक्त भूमि अथवा उसके कुछ भाग का भूमि उपयोग अन्य भूमि उपयोग की श्रेणी में आ सकता है।
- 2 विकास योजना प्रस्ताव अनुसार उपयोग की जानकारी प्रदाय करने से तात्पर्य विकास अनुज्ञा दिया जाना नहीं है,जिसके लिए म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश,अधिनियम—1973 म.प्र.नगर पालिका (कालोनाईजर का रिजस्टीकरण,निर्बन्धन तथा शर्त)नियम—1998 एवं अन्य संबंधित अधिनियम/ नियम के अंतर्गत अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
- उक्त भूमि उपयोग की जानकारी में अन्य प्रासंगिक उपयोग भी सिमलित है, जिसका विकास अनुज्ञा देते समय निर्धारण हो सकेगा ।
- 4 आपके द्वारा अक्स बंटाकन प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण पूरे खसरे का उपयोग दिया जारहा है । प्रस्तुत अक्स बंटाकन में यदि कोई विसंगति पाये जाने पर यह प्रमाण-पत्र निरस्त माना जावेगा एवं इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आवेदक की होगी ।

5 इस अनापत्ति/अभिमत को धारा–172 म.प्र.भू–राजस्व संहिता अंतर्गत भूमि व्यपवर्तन संबंधी अनापत्ति/अनुमति न समझा जावें । इस संबंध में समक्ष प्राधिकारी ,(एस.डी.ओ.) राजस्व पृथक से अनुमति लेनी होगी ।

उपस्चालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय,देवास

१३१७ कार्यालय उप संचालक,नगर तथा ग्राम निवेश,देवास क्रमांक ११/२०/५ देवास,दिनांक ११/२०/५

प्रति.

श्री नारायणसिंह रधुनाथसिंह एवं अन्य राधागंज,देवास

विषयः

देवास विकास योजना-2011 में भूमि उपयोग की जानकारी.

संदर्भः

आपका आवेदन दिनांक 04.09.2014


देवास विकास योजना-2011 के अनुसार व्यापक तौर पर आवेदित क्षेत्र का प्रस्तावित भूमि उपयोग निम्न है:-

ब्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्मांक	भूमि उपयोग व्यापक रूप से
1.	ग्राम विलावली	51/4,	कबाडी बाजार (वाणिजियक) अपि आहिएक
नोट:-			

- 1. विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के है । अतः प्रस्तावित भूमि उपयोग विकास योजना प्रस्ताव का समग्र रूप से खसरा मानचित्र पर अंकन होने के अथवा पुनरीक्षण विकास योजना प्रभावशील होने के पश्चात् उक्त भूमि अथवा उसके कुछ भाग का भूमि उपयोग अन्य भूमि उपयोग की श्रेणी में आसकता है ।
- 2. विकास योजना प्रस्ताव अनुसार उपयोग की जानकारी प्रदाय करने से ताप्पर्य विकास अनुज्ञा दिया जाना नही है,जिसके लिए म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम—1973 म.प्र.नगर पालिका (कालोनाईजर का रिजस्टीकरण,निर्वन्धन् तथा शर्ते) नियम—1998 एवं अन्य संबंधित अधिनियम / नियम के अंतर्गत अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
- उक्त भूमि उपयोग की जानकारी में अन्य प्रासंगिक उपयोग भी सिम्मिलित है, जिसका विकास अनुज्ञा देते समय निर्धारण हो सकेगा ।
- 4. आपके द्वारा अक्स बंटाकन प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण पूरे खसरे का उपयोग दिया जारहा है। प्रस्तुत अक्स बंटाकन में यदि कोई विसंगति पाये जाने पर यह प्रमाण पत्र निरस्त माना जावेगा एवं इसकी संपूर्ण जवाबदारी आवेदक की होगी ।
- 5. इस अनापत्ति/अभिमत को धारा-172 म.प्र.भू-राजस्व संहिता अंतर्गत भूमि व्यपवर्तन संबंधित अनापत्ति/अनुमित न समझा जावें । इस संबंध में में सक्षम प्राधिकारी (एस.डी.ओ.)राजस्व पृथक से अनुमित लेनी होगी ।

उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय देंवास

कार्यालय उपसंचालक,नगर तथा ग्राम निवेश,देवास क्रमांक २५,08/ २९/०३/नग्रानि/१४ देवास,दिनांक २५ ९,१५



श्री राजकुमार आडवानी पिता श्री श्रीचंद आडवानी, एवं श्रीमती रत्नादेवी पति श्री रामेश्वर वैष्णव निवासी पुलिस लाईन के पीछे,शाजापुर

ग्राम महुपुरा तहसील शाजापुर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक-123र्र्य में से रकवा 1505.00 वर्ग मीटर पर सुविधाजनक दुकान उपयोग हेतु स्थल अनुमोदन बावत्.

संदर्भः

आपका आवेदन (धारा-29) दिनांक 16.09.2014

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके संदर्भित आवेदन पत्र द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम महुपुरा तहसील शाजापुर में स्थित भ्जूमि सर्वे कमांक–123/3 में से रकवा 1505.0 वर्ग मीटर पर सुविधाजनक दुकानें उपयोग हेतु स्थल अनुमोदन चाहा गया है ।

शाजापुर विकास योजना—2021 के प्रस्तावनुसार विषयांकित भूमि का भू—उपयोग वाणिज्यिक एवं मार्ग निर्दिष्ट है । शाजापुर विकास योजना—2021 की पुस्तिका सारणी—6 सा—18 में रविकृत एवं स्वीकार्य उपयोग अंतर्गत सामान्य वाणिज्यिक उपयोग परिपेक्ष्य में आवेदित प्रयोजन मान्य है । उक्त भूमि का स्थल निरीक्षण कार्यालय के श्री विवेक देवधर, उपयंत्री द्वारा आवेदक के इंजिनियर की उपस्थती में किया गया । भूमि के तीनों ओर खुली तथा सामने की ओर ए.बी.मार्ग से विषयांकित भूमि को पहुंच उपलब्ध होती है, जैसा कि प्रस्तुत स्थल मानचित्र में दर्शाया गया है ।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में सुविधाजनक दुकानें उपयोग हेतु म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश नियम—1973 की धारा—29 के तहत प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्न स्वामित्व दस्तावेजों,शपथ पत्र दिनांक 18.09.2014 के आधार पर उपरोक्त वर्णित भूमि कुल रकवा 0.167 हेक्टर में से स्थल पर विधमान 0.150 हेक्टर अर्थात 1505.0 वर्ग मीटर,जिसे ए.बी.वर्तमान मार्ग कीउपलब्धता के फलस्वरूप सुविधाजनक दुकानें उपयोग हेतु संलग्न स्थल मानचित्र म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश,अधिनियम—1973 की धारा—30(1)—1(ख) तथा म.प्र.भूमि विकास नियम—2012 के नियम—2(5)(क) एवं नियम—27 के अधिन अनुमोदित कर अनुज्ञा वर्णित शर्तो के साथ दी जाकर म.प्र.नगर पालिक निगम अधिनियम—1956 (क्रमांक—23 संन्—1956) के निर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निम्मलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम प्राधिकारी तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा:—

अ. म.प्र.भू–राजस्व संहिता–1959 की धारा–172

ब. नजूल विभाग,शाजापुर

ई. म.प्र.नगर पालिक निगम अधिनियम-1956 (क्रमांक-23 संन्-1956)

द.अन्य किसी अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत कोई अनापित्त/अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो,तो उसे आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें। यदि किसी अधिनियम/नियमों के अंतर्गत कोई अन्य विभाग से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो,तो उसे प्राप्त करने का दायित्व आवेदक का होगा। संबंधित किसी विभाग को आपित्त होने पर इस कार्यालय को वैधानिक साक्ष्यों सहित 15 दिवस में अवगत कराया जाना आवश्यक होगा। निर्धारित समयाविध पूर्ण होने पर यह माना जावेगा कि किसी विभाग को उक्त अभिमत से कोई आपित्त नहीं है।

निरंतर.....2



5

6.

7

8

9

10

11

//2//

ऐसे भूमि उपयोग,गतिविधियां,जो प्रमुख भू-उपयोग वर्ग (मेजर लैण्ड जोन)मेंपरिभाषित नही है,वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में मानी जावेगी,किन्तू,जो स्वीकार्य भूमि उपयोग / स्वीकृत भूमि उपयोग सूची में तथा सम्बद्ध तालिका क्रमांक-4-सा-18 में शामिल है, के भू-उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नही आवेगी ।

विषयांकित भूमि के सामने अर्थात दक्षिण दिशा में ए.बी. मार्ग वर्तमान में स्थित होकर विकसित है । उक्त मार्ग की वर्तमान चौडाई 22.0 मीटर स्थल पर उपलब्ध होती है । अंगीकृत विकास योजना शाजापुर-2021 अनुसार प्रस्तावित स्थल के सम्मुख ए.बी.मार्ग की चौडाई 36.00 मीटर प्रस्तावित है । अतः संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार वर्तमान मार्ग मध्य से 18.00 मीटर चौड़ी भूमि मार्ग विस्तार हेतु खुली रखना होगी । मार्ग विस्तार छे अंतर्गत आने वाली भ्जूमि मार्ग उपयोग हेतु सुरक्षित रखते हुए उसका विकास सक्षम प्राधिकारी (राष्ट्रिय राजमार्ग) से अनुमति प्राप्त कर रवंय के व्यय से करना होगा ।

अनुज्ञा की शर्त कमांक-02 अनुसार मार्ग के मध्य से 18.00 मीटर चौडी भूमि मार्ग विस्तार हेतु खुली रखने के पश्चात् सलग्न मानचित्र में दर्शाये यअनुसार भूमि के अंतर्गत चारों ओर सीमांत खुले क्षेत्र छोडना होगें । उक्त सीमांत खुले क्षेत्र में किसीं भी हप्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नही है ।

आच्छादित क्षेत्र संलग्न मानचित्र में दर्शायि अनुसार तथा भवन की उंचाई शाजापुर विकास योजना-2021 के अनुसार मान्य होगी ।

प्रश्नाधीन भूमि में कुछ पेड विधमान है,जिन्हें सुरक्षित रखा जाना होगा,यदि इन पेडों को काटा जाना आवश्यक हो,तो इस हेतु सर्वप्रथम सक्षम प्राधिकारी से अनापित्ति पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की दृष्टि से समस्त आधार-भूत सुविधाओं का विकास स्वंय आवेदक को करना होगा।

आवेदक को म.प्र. भूमि विकास नियम–2012 के नियम–81 (4) के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग की प्रणाली स्थापित करना होगी । इसके पश्चात् ही संबंधित विभाग द्वारा जल एवं विधृत संयोजन किया जा सकेगा ।

यह अनुज्ञा सुविधाजनक दुकान उपयोग हेतु दी गई है । अन्य उपयोग हेतु भूमि का उपविभाजन व उपयोग परिवर्तन मान्य नही होगा ।

उक्त अनुज्ञा की शर्तो के आधार पर संलग्न मानचित्र अनुसार भवन निर्माण अनुज्ञा शाजापुर विकास योजना-2021 एवं म.प्र.भूमि विकास नियम-2012 के निर्दिष्ट प्रावधानों अनुसार नगर पालिका परिषद्,शाजापुर से प्राप्त करना होगी ।

म.प्र.भूमि विकास नियम-2012 के नियम-23 (1) अनुसार उक्त अनुज्ञा 03 (तीन) वर्ष तक विधमान रहेगी ।

आवेदको द्वारा प्रस्तुत अक्ष/खसरा मानचित्र या अन्य कोई दस्तावेज में किसी भी प्रकार की 12. विसंगति होने पर उसकी जिम्मेदारी स्वंय आवेदक एवं उनके वास्तुविद की होगी ।

शाजापुर अंगीकृत विकास योजना-2021 सारणी-6-सा.-16 एवं म.प्र. भूमि नियम-2012 के नियम-84 परिशिष्ट-झ-1 एवं झ-2 के प्रावधानों अनुसार पार्किगं हेतु प्रावधान रखना होगा । पार्किंगं की व्यवस्था स्वंय के परिसर में ही करना होगा । किसी भी दशा में वाहन पार्किगं मार्ग पर स्वीकार नहीं होगी ।

14

संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार म.प्र.भूमि विकास नियम-2012 के नियम-76(1 से 4) के तहत तलधर निर्माण हेत् निर्धारित मापदण्डों का पालन करना होगा । तलधर में कार पार्किगं के अतिरिक्त अन्य कोई उपयोग मान्य नही होगा ।

- म.प्र.भूमि विकास नियम-2012 के नियम-50(ख) का पालन आवेदक द्वारा किया जाना 15. आवश्यक होगा ।
- म.प्र.भूमि विकास नियम-2012-के नियम-86 अग्नि तथा संरचनात्मक सुरक्षा एवं नियम-87 16. अग्नि सुरक्षा संबंधी आवश्यकताए प्रावधान अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जावेगी,जिसका पालन आपको आवश्यक रूप से करना होगा ।
- उक्त अनुज्ञा को भू-स्वामित्व का दस्तावेज नही माना जावें ओर न ही यह अहस्तातंरित 17. होगा । उक्त स्थल मानचित्र को भू-स्वामित्व के रूप में किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना मान्य नही माना जावेगा ।
- विषयांकित भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग से कराना होगा। सीमांकन उपरांत स्थल की 18. सीमा अथवा स्थल मानचित्र अनुसार यदि कोई भिन्नता आती हे,तो सीमांकित स्थल मानचित्र पर इस कार्यालय से अभिमत प्राप्त करना होगा।
- अनुमोदित स्थल मानचित्र के विपरित किये गये विकास कार्य,गलत जानकारी,कोई भी कथन 19. असत्य पाये जाने या भूमि सीमा विवाद उत्पन्न होने की दशा में तथा पत्र में उल्लेखित किसी भी शर्तो का उल्लंधन होना सिद्ध पाये जाने पर यह अनुज्ञा म.प्र.भूमि विकास नियम-2012 के नियम-25 के तहत प्रतिसहत (रिव्होक) कर दी जावेगी,जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी ।

संलग्न:

एक मानचित्र

/ 29/03/नग्रानि/14

नगर तथा ग्राम निवेश,देवास देवास,दिनांक 248-14

प्रतिलिपि:-

अनुविभागीय अधिकारी,राजस्व शाजापुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु. 1.

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,नगर पालिका निगम,शाजापुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक 2.

तहसीलदार,तहसील कार्यालय,शाजापुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत्. संलग्न: समस्त के साथ एक मानचित्र।

नगर तथा ग्राम निवेश देवास

